हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

बारहवां सत्र

बुधवार, 02 सितम्बर, 2026/11 भाद्रपद, 1948(शक्)

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित:**

दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. **शून्यकाल:**

3. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएगें:**

   (1) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

   (i) किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 110 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एस.जे.ई.-ए-ए(4)-2/2016-लूज, दिनांक द्वारा 21.04.2026 को अधिसूचित तथा दिनांक 04.05.2026 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित; और

   (ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम का 31वाँ एवं 32वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें, वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 45(4) के अन्तर्गत डॉ0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(3) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (संशोधित) की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

4. सदन की समिति के प्रतिवेदन:

श्री संजय रत्न, सभापति, स्थानीय निधि लेखा समिति, (वर्ष 2026-27), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग** द्वारा ग्राम पंचायत नाया पंजोड़, विकास खण्ड शिलाई, सिरमौर अवधि 04/2018 से 03/2023 के लेखाओं पर तैयार विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की संवीक्षा पर बने **प्रथम मूल प्रतिवेदन,** चौदहवीं विधान सभा (वर्ष 2024-25) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **5वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि राजकीय महाविद्यालय ठियोग, जिला शिमला में **बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना** के अन्तर्गत हिमुडा द्वारा निर्मित छात्रावास भवन के निर्माण की संवीक्षा पर आधारित तथा **आवास विभाग** से सम्बन्धित है।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री पवन कुमार काजल,** "नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क व पुल निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रहे विलम्ब एवं क्षेत्रीय असंतुलन बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

(2) **श्री चन्द्र शेखर,** "सरकाघाट और धर्मपुर में बसों की कमी से हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

6. विधायी कार्य:

(I) <u>सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना</u>

श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सड़क

हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16)	अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के

हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10)	राज्य विश्वविद्यालय संबंधी विधियों में संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(2) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13)	का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(3) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) **दिनांक 31.08.2026 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।**

(2) **श्री केवल सिंह पठानिया,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश के जल संसाधनों/जलविद्युत परियोजनाओं से देय रॉयल्टी, फ्री पावर, जल उपकर की बकाया देयताओं (Liabilities) की वसूली तथा राजस्व हितों के संरक्षण हेतु" यह सदन विचार करे।

8. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

(1) **श्री बिक्रम सिंह,** "दिनांक 26 अगस्त, 2026 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 4464 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

(2) **श्री सतपाल सिंह सत्ती,** "दिनांक 26 अगस्त, 2026 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 4499 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

शिमला-171004 (यशपाल शर्मा)
दिनांक: 01 सितम्बर, 2026 सचिव।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)